

अभिनिर्णय

1. वाद संख्या : 44 / 2014-15
2. ग्राम : घरवासपुर।
3. परगना व तहसील : चाँदा, लम्भुआ
4. जनपद : सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश)
5. अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल : 6.4964 हे०
6. भूमि अधिग्रहण का प्रयोजन : राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 56
(सुलतानपुर-वाराणसी सेक्शन) के
134.700 कि०मी० से 178.300
कि०मी० तक चौड़ा करने/चार लेन बनाने
आदि हेतु।
7. क्या जमींदारी विनाश क्षेत्र लागू है? : हाँ।
8. अध्याप्ति निकाय का नाम : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
(भारत सरकार) द्वारा भारतीय राष्ट्रीय
राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई
वाराणसी।
9. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 : अधिसूचना संख्या-क.अ.2648(अ)
के अन्तर्गत धारा 3A की अधिसूचना
प्रकाशन का दिनांक भारत का राजपत्र असाधारण,
भाग II-खण्ड 3- उपखण्ड (ii)
नई दिल्ली, दिनांक 23.10.2012
10. धारा 3A की उपधारा (3) के : 1. अमर उजाला
प्राविधानानुसार स्थानीय समाचार
पत्रों में प्रकाशन का दिनांक दिनांक 12.12.2012
2. हिन्दुस्तान
दिनांक 12.12.2012
11. उक्त अधिनियम की धारा 3D : अधिसूचना सं०-क.अ.3219 (अ)
की उपधारा (1) के अन्तर्गत
अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि भारत का राजपत्र असाधारण,
भाग II- खण्ड 3- उपखण्ड (ii)
नई दिल्ली, दिनांक 22.10.2013
12. उक्त अधिनियम की धारा 3G : 1.हिन्दुस्तान
की उपधारा 3 के अन्तर्गत स्थानीय
समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि दिनांक 14.11.2013
2. टाइम्स ऑफ इण्डिया
दिनांक 14.11.2013
13. अभिनिर्णय की तिथि : दिनांक ,2015

14. अभिनिर्णय की धनराशि का विवरण:-

1	भूमि के प्रतिकर की धनराशि (रु०)	2,20,23,780.00
2	परिसम्पत्तियों का प्रतिकर	
	वृक्षों का प्रतिकर धनराशि (रु०)	1,47,724.00
	भवन आदि निर्माण के प्रतिकर की धनराशि (रु०)	9,85,897.00
	योग (रु०)	2,31,57,401.00
	10 प्रतिशत अतरिक्त धनराशि (रु०)	23,15,740.00
	सम्पूर्ण योग (रु०)	2,54,73,141.00

15. अध्याप्ति व्यय की धनराशि (10 प्रतिशत) : रु० 25,47,314.00

16. पूंजीकृत मूल्य की धनराशि (मालगुजारी का 40 गुना): रु० 202.63 × 40 = 8,105.20

यानि=8,105.00

अभिनिर्णय का औचित्य

भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 के 134.700 कि०मी० से 178.300 कि०मी० (सुलतानपुर-वाराणसी सेक्शन) के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के निर्माण के लिए जनपद-सुलतानपुर के ग्राम-घरवासपुर, परगना चाँदा व तहसील लम्बुआ में भूमि अधिग्रहण हेतु भू-अर्जन का प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, वाराणसी) द्वारा सक्षम प्राधिकारी/अपर उप जिलाधिकारी, सदर सुलतानपुर को प्राप्त कराया गया। इस प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 की धारा 3A के अन्तर्गत भारत सरकार का असाधारण राजपत्र, नई दिल्ली में गजट अधिसूचना दिनांक 23.10.2012 तथा दो समाचार पत्रों 'अमर उजाला' एवं 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को प्रकाशित कराया गया। इस भू-अर्जन प्रस्ताव के सम्बन्ध में ग्राम-घरवासपुर, के भू-स्वामियों द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3C के अन्तर्गत छ: (06) आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिसका नियमानुसार निस्तारण किया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3D के अन्तर्गत भू-अर्जन का प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को इस कार्यालय द्वारा भेजा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3D के अन्तर्गत इस ग्राम में 6.4964 हे० भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना भारत का राजपत्र असाधारण में दिनांक 22.10.2013 को प्रकाशित किया गया है, तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3D के प्रकाशन के उपरान्त इस ग्राम में 6.4964 हे० भूमि अधिग्रहण हेतु दो दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 14.11.2013 को प्रकाशित किया गया है।

(03)

उक्त अधिनियम की धारा 3G के अन्तर्गत भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रतिकर के सम्बन्ध में कोई दावा/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम-घरवासपुर, परगना चाँदा व तहसील लम्भुआ, जनपद-सुलतानपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 के (134.700 कि०मी० से 178.300 कि०मी० तक) (सुलतानपुर-वाराणसी सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजनार्थ गजट के आधार पर अधिग्रहीत भूमि गाटा संख्या 440 रकबा 0.0862हे०, गाटा संख्या 449 रकबा 0.0166हे० व 455 रकबा 0.0018हे० एवं गाटा संख्या 632 रकबा 0.0460हे०, गाटा संख्या 638 रकबा 0.0205हे० गाटा संख्या 661 रकबा 0.0229हे०, कुल भूमि 0.1940हे० में अर्जित रकबे का सरकारी/गांवसभा भूमि का गजट प्रकाशन हुआ है, में अर्जित रकबे का सरकारी/गांवसभा भूमि का पुर्नग्रहण की कार्यवाही अध्याप्ति निकाय यानि परियाकजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, वाराणसी द्वारा की जानी है। संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर गाटा संख्या 656 रकबा 0.0439 हे०, गाटा संख्या 657 रकबा 0.5581 हे० गाटा संख्या 642 रकबा 0.5382 हे०, गाटा संख्या 644 रकबा 0.1056 हे०, गाटा संख्या 415 रकबा 0.1968 हे०, गाटा संख्या 659 रकबा 0.1988हे० गाटा संख्या 660 रकबा 0.1110हे० गाटा संख्या 465 रकबा 0.0139हे०, गाटा संख्या 460 रकबा 0.0220हे०, गाटा संख्या 630 रकबा 0.0060हे०, गाटा संख्या 415 रकबा 0.1856हे०, गाटा संख्या 454 रकबा 0.2302हे०, 645 रकबा 0.2318हे०, गाटा संख्या 437 रकबा 0.1512हे०, गाटा संख्या 452 रकबा 0.0692हे०, गाटा संख्या 633 रकबा 0.3375हे० गाटा संख्या 439 रकबा 0.2734हे० गाटा संख्या 458 रकबा 0.0235हे० गाटा संख्या 416 रकबा 0.6699हे० गाटा संख्या 641 रकबा 0.1075हे० गाटा संख्या 463 रकबा 0.0111हे० गाटा संख्या 631 रकबा 0.1968हे० गाटा संख्या 438 रकबा 0.1120हे० गाटा संख्या 459 रकबा 0.0325हे० एवं गाटा संख्या 658 रकबा 0.1610हे० गाटा संख्या 640 रकबा 0.0765हे० गाटा संख्या 432 रकबा 0.2430 गाटा संख्या 414 रकबा 0.2401हे० गाटा संख्या 453 रकबा 0.2290हे० गाटा संख्या 457 रकबा 0.0093हे० व गाटा संख्या 643में० रकबा 0.0676हे० एवं गाटा संख्या 643में० 0.1052हे० कुल रकबा 5.5582 हे० में प्रतिकर की कार्यवाही की जा रही है। भूमि पर सर्वे के उपरान्त बृक्षों की मूल्यांकन आख्या प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग/जिला उद्यान अधिकारी सुलतानपुर से प्राप्त हुई हैं, जिसका समावेश प्रपत्र नमूना-11 पर विद्यमान है। अर्जित भूमि की वर्तमान बाजार दर ज्ञात करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा, 3(A) के प्राविधानों के अन्तर्गत धारा 3(A) की अधिसूचना के अन्तिम प्रकाशन की तिथि 23.10.2012/12.12.2012 से 3 वर्ष पूर्व के अवधि में निष्पादित विक्रय पत्रों को उपनिबंधक लम्भुआ, सुलतानपुर कार्यालय से क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार लम्भुआ द्वारा संकलित कराते हुए उपलब्ध कराया गया, इस निर्धारित अवधि में कुल 26 विक्रय पत्रों को अनुसूची-2 में सूचीबद्ध किया गया है। सर्वेक्षण के आधार पर अन्य नम्बरों के सम्बन्ध में अध्याप्ति निकाय पुनः कार्यवाही करें।

अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण बाजार मूल्य पर किया जाना है, अतएव विज्ञप्ति के तीन वर्ष के पूर्व के विक्रय पत्रों के निष्पादन के आधार पर बाजार मूल्य नियत किया जाना विधिसंगत है। अन्तिम प्रकाशन के तीन वर्ष पूर्व के बैनामों की जाँच करायी गयी। तैयार अनुसूची-2 में उल्लिखित 26 विक्रय पत्रों का अंकन देखा गया जो पत्रावली में संलग्न है, इनमें से विक्रय विलेख कम संख्या-01 लगायत 26 तक की दरों का बाजार भाव वर्तमान बाजार दर से कम होने के कारण प्रतिनिधि बिक्रय पत्र के रूप में चयन किया जाना उपयुक्त नहीं प्रतीत होता है, जिस कारण से उपरोक्त विक्रय विलेखों को निरस्त किया जाता है। दर बाजार भाव के अनुरूप न मिलने के कारण जिलाधिकारी स्टाम्प डियुटी में अंकित उक्त ग्राम के दर का परीक्षण किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। स्टाम्प डियुटी रेट में ग्राम घरवासपुर को सामान्य ग्रामों की श्रेणी में मानते हुए गाटा संख्या

395 रकबा 0.0262हे0, गाटा संख्या 656 रकबा 0.0439हे0 व गाटा संख्या 465 रकबा 0.0139हे0, गाटा संख्या 460 रकबा 0.0220हे0, गाटा संख्या 630 रकबा 0.0060हे0 गाटा संख्या 458 रकबा 0.0235हे0 गाटा संख्या 463 रकबा 0.0111हे0 गाटा संख्या 459 रकबा 0.0325हे0 गाटा संख्या 457 रकबा 0.0093 कुल रकबा 0.1622हे0 को 0.050हे0 तक दर रू0 15,400 के अनुसार तथा गाटा संख्या 452 रकबा 0.0692हे0 व गाटा संख्या 640 रकबा 0.0765हे0 गाटा संख्या 643में0 रकबा 0.0676हे0 कुल रकबा 0.2133हे0 तक 0.050हे0 से 0.100हे0 तक 6,500 की दर के अनुसार तथा गाटा संख्या 657 रकबा 0.5581हे0 गाटा संख्या 642 रकबा 0.5382हे0 गाटा संख्या 644 रकबा 0.1056हे0 गाटा संख्या 415में0 रकबा 0.1968हे0 गाटा संख्या 659 रकबा 0.1988हे0 गाटा संख्या 660 रकबा 0.1110हे0, गाटा संख्या 415में0 रकबा 0.1856हे0 गाटा संख्या 454 रकबा 0.2302हे0 गाटा संख्या 645 रकबा 0.2318हे0 व गाटा संख्या 437 रकबा 0.1512हे0 एवं गाटा संख्या 633 रकबा 0.3375हे0 कुल रकबा 2.8448हे0 को 0.100हे से अधिक तक दर रू0 3,500 के अनुसार सम्पूर्ण रकबा 5.5582हे0 के अर्जित रकबे के आधार पर अभिनिर्णय हेतु सर्वथा औचित्य पूर्ण पाते हुए निजी भूमि 5.5582 हे0 का अभिनिर्णय निर्धारित किया जाता है। निर्धारित दर के आधार पर अर्जित भूमि की प्रगणना निम्नवत है:-

1	भूमि के प्रतिकर की धनराशि (रू0)	2,20,23,780.00
2	परिसम्पत्तियों का प्रतिकर	
	वृक्षों का प्रतिकर धनराशि (रू0)	1,47,724.00
	भवनों आदि निर्माण के प्रतिकर की धनराशि (रू0)	9,85,897.00
	योग (रू0)	2,31,57,401.00
10	प्रतिशत अतरिक्त धनराशि (रू0)	23,15,740.00
	सम्पूर्ण योग (रू0)	2,54,73,141.00

अतएव उपरोक्त निर्धारित दर के आधार पर सर्वेक्षण के आधार पर 5.5582 हे0 अर्जित भूमि की प्रतिकर धनराशि रू0 2,20,23,780.00 होता है तथा परिसम्पत्तियों के रूप में भवनों का मूल्यांकन रू0 9,85,897.00 होता है तथा वृक्षों की मूल्यांकन आख्या 1,47,724.00 होता है। इस निर्धारित धनराशि पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3G (2) के अनुसार 10 प्रतिशत की दर से अतरिक्त धनराशि रू0 23,15,740.00 देय होगी। इस प्रकार कुल अर्जित भूमि की प्रतिकर धनराशि रू0 2,54,73,141.00 (रू0 दो करोड़ चौवन लाख, तिहत्तर हजार, एक सौ इक्तालिस मात्र) निर्धारित किया जाता है।

अध्याप्ति व्यय- कुल अभिनिर्णीत धनराशि रू0 2,54,73,141.00 पर 10 प्रतिशत की दर से अध्याप्ति व्यय रू0 25,47,314.00 अर्जन निकाय से वसूल कर राज्य के निर्धारित लेखा शीर्षक "0029-भू राजस्व-800 अन्य प्राप्तियों 007-भूमि अध्याप्ति संबंधी कार्यवाहियों की वसूली 0704 अन्य संस्थाएं" में जमा किया जायेगा।

पूँजीकृत मूल्य - अर्जित भूमि में भू-राजस्व 202.63 का 40 गुना रूपया 2,881.00 अध्याप्ति निकाय से वसूल करके राज्य सरकार के निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाएगा।

(05)

अतः मैं सक्षम प्राधिकारी/अपर उप जिलाधिकारी, सदर सुलतानपुर 0.4095 हे0 भूमि का अभिनिर्णय ग्राम-घरवासपुर परगना चाँदा व तहसील लम्बुआ, में रु0 **2,54,73,141.00** (रु0 दो करोड़ चौवन लाख, तिहत्तर हजार, एक सौ इक्तालिस मात्र) घोषित करता हूँ। अभिनिर्णीत धनराशि खातावार, गाटावार भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों के नाम पर भूमि अर्जन प्रपत्र-11 में अंकित की जाए।

आज दिनांक ,2015 को अभिनिर्णय घोषित कर पत्रावली में सम्मिलित किया गया है।

(राम विलास)

सक्षम प्राधिकारी/अपर
उप जिलाधिकारी, सदर
सुलतानपुर।

सक्षम प्राधिकारी (अपर उप जिलाधिकारी, सदर) महोदय,

कृपया पत्रावली पर दांयी ओर रक्षित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई लखनऊ द्वारा भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 के 134.700कि०मी० से 178.300 कि०मी० (सुलतानपुर-वाराणसी सेक्शन) के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के निर्माण के लिए जनपद-सुलतानपुर के ग्राम-पूनीभीम पट्टी परगना चाँदा व तहसील लम्भुआ में भूमि अधिग्रहण हेतु भू-अर्जन का प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, वाराणसी) द्वारा सक्षम प्राधिकारी/अपर उप जिलाधिकारी, सदर, सुलतानपुर को प्राप्त कराया गया है, जिसके संबंध में धारा 3ए एवं 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना भारत सरकार के असाधारण गजट में प्रकाशित हुई है। तदोपरान्त दो दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से स्थानीय प्रकाशन कराया गया है। ग्राम में बारह (12) आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनका नियमानुसार निस्तारण किया गया है। तहसील सदर से अंतिम प्रकाशन की तिथि के तीन वर्ष पूर्व के बिक्रय पत्र को उपनिबंधक कार्यालय लम्भुआ से क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक/तहसीलदार लम्भुआ द्वारा उपलब्ध कराया गया, जिसके अनुसार तैयार की गयी अनुसूची-2 दांयी ओर संलग्न है। बिक्रय विलेख के अनुसार बाजार भाव स्पष्ट न होने के कारण जिलाधिकारी स्टाम्प डियुटी रेट के अनुसार दर का निर्धारण दिये गये निर्देश के क्रम में किया गया। सर्वेक्षण में अधिग्रहीत भूमि पर वृक्ष, भवन व अन्य परिसम्पत्तियाँ प्रभावित हो रही अर्जित भूमि में मालगुजारी रू० 72.02 के कमी की स्वीकृति प्राप्त होनी है। अतः दिये गये निर्देश के क्रम में आपकी ओर से अभिनिर्णय आदेश कम्प्यूटरीकृत टंकित कर पत्रावली पर दांयी ओर संलग्न है, कृपया इसका अवलोकन करते हुए, सहमत होने के पश्चात हस्ताक्षर करना चाहें।